न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2020

हरनाथ सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह कौम गवारिया निवासी पट्टी कटला नया बाजार अजमेर जिला अजमेर राजस्थान हाल मु0 प्रो0 मैसर्स तिरूपति ग्रेनाईट माईन्स एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. गोपी पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर
2. बद्री पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर
3. भूरा पुत्र सूरजमल जाति गूर्जर
   समस्त निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. बिरजू पुत्र छोटूलाल जाति नायक निवासी 5 ए मॉर्डन टाउन ब्राहमण की थड़ी के पास मानसरोवर जयपुर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्त0अधि0

उपस्थितः— श्री शिवप्रसाद पाराशर वकील— प्रार्थी
श्री एस0पी0दाधीच— अप्रार्थी संख्या 4
कोई हाजिर नही (एक्सपार्टी)—अप्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.9.20

Web Copy - Not Official

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि एकलसिंगा की जमाबंदी संवत् 2070—73 के खाता संख्या नया—पुराना 198—201 मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर 910 / 1087,917रकबा 0.10,1.32 बा.1 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। खसरा नम्बर 910 / 1087,917रकबा 0.10,1.32 बा.1 मे पहुंच के प्रयोजन से खसरा नम्बर 903,903 / 1086,904,918 / 1063 की उत्तरी मेड़ से ही अपनी खातेदारी मे आता जाता रहा है। इस रास्ते को कांटो की बाड़ लगाकर उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। अतः इस रास्ते को खुलवाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। की कदीमी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे। और ना ही उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करे। पक्षान्तक्षर माननीय न्यायालय इस निर्णय मे पहुंचे की डी0एल0सी0 दर व भूमि के बदले भूमि के आधार पर रास्ता प्रतिवादीगण से दिलवाया जाकर डीएलसी दर की राशि अथवा भूमि के बदले भूमि वादी से ली जाकर प्रतिवादी को दिलवायी जाकर उक्त कदीमी रास्ते की भूमि को खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड मे बतौर रास्ता नक्शा मे तरमीम की जावे। न्यायालय द्वारा आरोपित हर शर्त की पालना करने हेतु वादी तैयार एवं तत्पर है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार केकड़ी ने अपनी जॉच रिपोर्ट कमांक / राजस्व / 2020 / 266 दिनांक 06.03.2020 प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी खसरा संख्या 917,910 / 1087 कृषि भूमि मे पहुँच मार्ग हेतु रास्ता चाहा गया है। जिसकी भू.अ.नि.जूनिया व पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि खसरा नंबर 917,910 / 1087मे आने जाने हेतु वर्तमान मे खेतो की मेड़ो से रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे खेतो की मेड़ो से रास्ता जाता है। प्रार्थना पत्र मे अंकित चाहे गये रास्ते मे पड़ने वाले खसरा नंबर 897 / 1061, 897 / 1060,902,903 / 1086,896 / 939,903, 904,906

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त चाहे गये नंबरान से रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते के आने जाने के खसरा नंबर 897 / 1061मे से 240वर्गमीटर, 897 / 1060मे से 840 वर्गमीटर,902मे से 100वर्गमीटर,903 / 1086मे से 180 वर्गमीटर,896 / 939मे से 156 वर्गमीटर,903मे से 195 वर्गमीटर,904मे से 312 वर्गमीटर,906मे से 366 वर्गमीटर,918 / 1063मे से 270 वर्गमीटर व 905 मे से 100 वर्गमीटर भूमि रास्ते मे इस प्रकार कुल आने वाली भूमि 2859 वर्गमीटर भूमि पड़ती है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार रास्ते मे पड़ने वाली खातेदारी व सरकारी भूमि का डी0एल0सी0दर से भुगतान कर दिया जावेगा। रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर व लंबाई 408 मीटर होगी। यदि प्रतिकर की रकम पर आपस मे प्रभावित खातेदार सहमत नहीं होने पर जमीन के बदले जमीन दिया जाना संभव नही है। उपरोक्त पर सहमति नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा तय राशि प्रार्थी द्वारा अदा करने की सहमति है। एवं रास्ते मे किसी प्रकार का कोई पेड़ आदि नहीं है। अन्य कोई हर्जा खर्चा नहीं है। जॉच रिकार्ड के साथ मे समस्त राजस्व रेकार्ड मय नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता अंकन कर भिजवाया है। अप्रार्थी संख्या 4 की और से श्री एस0पी0दाधीच एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया,जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी गई। शेष अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी कर दिनांक 29.07.2020 को तलब किया गया था। रजिस्टर्ड डाक दिनांक 18.07.2020 को जारी किया गया था। एक माह से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बावजूद अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से दिनांक 04.09.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। जवाब प्रस्तुत होने व तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस पक्षकारान् की सुनी गई। प्रार्थी के लायक वकील ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया व रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की। अप्रार्थी संख्या 4 के अभिभाषक ने अपनी बहस मे बताया अिक प्रतिवादी ने अपनी आराजी मे माईनिंग लीज हेतु सम्बन्धित विभाग से मंशापत्र स्वीकृत करवा लिया है। अतः उक्त परिस्थितियों मे रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। मैने वकील पक्षकारान को सुना। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम एकलसिंहा की आराजी खसरा नंबर 910 / 1087 रकबा 0.10 है0 बा.1,917 रकबा 1.32 है0 बा01 मे आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः तहसीलदार केकड़ी की मौका रिपोर्ट मे लाल स्याही से चिन्हित 2859 वर्गमीटर भूमि 5 मीटर चौड़ा व 408 मीटर लम्बा क्षेत्र सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार केकड़ी जो नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित है, 5 मीटर चौड़ा व 408 मीटर लम्बा क्षेत्र को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करे,मौके पर रास्ता खुलासा करवाया जावे, तथा इस क्षेत्र मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर अनुसार की राशि की दुगनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज व मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:43 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर))
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी